

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 543 / 2014
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—53 आरटीए

1. कृष्ण चन्द्र पुत्र लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा हाल आबाद वार्ड नं0 25 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादी

बनाम

1. अनूप सिंह पुत्र भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
2. लखेसरी पत्नी हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
3. जयन्त कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
4. विनोद कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
5. पुष्पा देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
6. शकीला देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
7. कृष्णादेवी पत्नी भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
8. पृथ्वीराज पुत्र रामरख (फौत)
8/1. विजय सिंह पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
8/2. उदयपाल पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
9. देशराज (फौत)
9/1. प्रमोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
9/2. इन्द्र कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
9/2/1. राजेश पुत्र इन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10. कृष्ण कुमार (फौत)
10/1. श्यामलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10/2. देवेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10/3. प्रदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10/4. विष्णु कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10/5. सुशील कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
10/6. आनन्द कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
11. शोकरण पुत्र बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
12. बसीधर पुत्र बीझाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
13. रोशनी देवी पत्नी हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
14. सुभाष पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।

15. इन्द्रजीत पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
16. मजूबाला पुत्री हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
17. एस. बी.बी.जे. बैंक शाखा संगरिया
18. एस. बी. आई बैंक शाखा संगरिया
19. ओ.बी.सी. बैंक शाखा ढाबां
20. तहसीलदार (राजस्व)
21. दीपक पुत्र विजय सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
—प्रतिवादीगण

उपस्थित:— 1. श्री रामनिवास बेदी अधिवक्ता वादी
2. श्री अनिल गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या-7
3. श्री सुशील कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या-21

निर्णय

दिनांक:—16.10.2019

वादी ने जरिये वकील वादपत्र बाबत खाता तकसीम व घोषणा के इस आशय का पेश किया है कि चक 3 एन.टी.डब्ल्यू. ज.स. 2068-71 खाता संख्या 24/24 के कुल सांझा खाता 24.797 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम 0.304 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 51/47 के कुल सांझा खाता 4.301 हैक्टर में से 0.127 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि की चालू जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कुल भूमि 0.431 हैक्टर वादी की जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। बैयनामा की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। वाद भूमि का कब्जा खरीद के रोज से वादी ने निम्न प्रकार प्राप्त कर लिया तथा सहखातेदार भी अपने हक व हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्ण काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच अच्छी मन्दी भूमि को लेकर घरू विभाजन हो चुका है। घरू विभाजन में वादी के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार है:—चक 3 एन.टी.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत 2068-71 खाता सं. 51/47 प.नं. 184/164 मु.नं. 4 किला नं. 16/0.127, खाता सं. 24/24 प.नं. 184/164 मु.नं. 4 किला नं. 17/0.126, 18/0.127, 19/.051

उपरोक्त भूमि पर वादी की शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर आज कोई विवाद नहीं है।

वाद भूमि का खाता सांझा होने के कारण रकम राज आबयाना व सीव-बट इत्यादि को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। इसलिए वादी अपना खाता कब्जा काश्त अनुसार अलग कायम कराने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वादी की खरीद शुदा कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग कायम करा लें तो पहले तो, आजकल— आजकल करते रहे, दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व ऐसा करने से प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया है बस यही कारण है।

सहखातेदार शोकरण, बंशीधर व रामरख पुत्र श्री रतीराम तथा रामजस, लेखराम पिसरान दौसा पूर्व में फौत हो चुके हैं जिनके जायज वारिसों को वाद में बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया है। प्रतिवादी गण संख्या 17 से 19 के नाम भूमि का अंकित होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 20 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ प्रत्यक्षतय कोई अनुतोष नहीं चाह गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की ओर से मीमो पेश किया बाद में प्रतिवादी संख्या 7 ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा में भी पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकालतनामा पेश करने के उपरान्त बार-बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या

7 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7,8/1,8/2,9/1,9/2,9/2/1,10/1 ता 10/4,10/5/1,11,12,13,14,15,16,18,19,20 की तलबी साधारण सम्मन,रजिस्टर्ड एडी से व स्थानीय अखबार से करवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर उपर्युक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त कार्यवाही के दौरान ही दीपक पुत्र विजयसिंह जाति विश्‍नोई निवासी वार्ड नं. 11 संगरिया ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई,वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश न कर प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करनी की सहमति प्रदान की। सहमति प्रकट करने पर प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकृत किया गया व दीपक को बतौर प्रतिवादी संख्या 21 दावा के शीर्षक में लाल स्याही से संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 21 ने अपना जवाब दावा मय काउटर कलेम पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी द्वारा काउटर कलेम का कोई विरोध नहीं किया ओर ना ही जवाब प्रतिदावा पेश किया,इस पर वकील वादी का जवाब प्रतिदावा बन्द किया गया। जवाब प्रतिदावा पेश नहीं करने पर तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में वादी कृष्णचन्द्र का शपथ-पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया,और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा,इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श करवाई गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिर्का में वादगत आराजी स्वयं अर्जित है जिसका खाता विभाजन करवाना चाहा है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा भी वादगत आराजी का खाता विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त वादी डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की तथा काउटर कलेम मुझ प्रतिवादी संख्या 21 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। वादगत आराजी खरीद शुदा है जिसका खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 मुताबिक काउटर कलेम खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं की है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है एवं मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं तथा शेष पक्षकार उपस्थित नहीं होने व भूमि में सह-खातेदार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादी के वादपत्र में तहसीलदार संगरिया से समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी -मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी व काउन्टर कलेम प्रतिवादी संख्या 21 आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि समस्त काश्तकारों की उपस्थिति में विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर चक 3 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 51/47 एवं खाता सं. 24/24 के समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी-मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से लिखा जावे। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—543/2014

1. कृष्ण चन्द्र पुत्र लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा हाल आबाद वार्ड नं0 25 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादी

बनाम

1. अनूप सिंह पुत्र भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
2. लखेसरी पत्नी हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
3. जयन्त कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
4. विनोद कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
5. पुष्पा देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
6. शकीला देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
7. कृष्णादेवी पत्नी भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
8. पृथ्वीराज पुत्र रामरख (फौत)
8/1. विजय सिंह पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
8/2. उदयपाल पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
9. देशराज (फौत)
9/1. प्रमोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
9/2. इन्द्र कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
9/2/1. राजेश पुत्र इन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10. कृष्ण कुमार (फौत)
10/1. श्यामलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10/2. देवेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10/3. प्रदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10/4. विष्णु कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10/5. सुशील कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
10/6. आनन्द कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
11. शोकरण पुत्र बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
12. बसीधर पुत्र बीझाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
13. रोशनी देवी पत्नी हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।

14. सुभाष पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
15. इन्द्रजीत पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
16. मजूबाला पुत्री हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।
17. एस. बी.बी.जे. बैंक शाखा संगरिया ।
18. एस. बी. आई बैंक शाखा संगरिया ।
19. ओ.बी.सी. बैंक शाखा ढाबां ।
20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।
21. दीपक पुत्र विजय सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादी श्री सुशील कुमार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 21 में प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि चक 3 एन. टी.डब्ल्यू. खाता सं. 51/47 एवं खाता सं. 24/24 के समस्त सह-काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार संगरिया विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयारकर आगामी दिनांक 23.10.2019 को पेश हो ।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—543 / 2014

2. कृष्ण चन्द्र पुत्र लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा हाल आबाद वार्ड नं0 25 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादी

बनाम

1. अनूप सिंह पुत्र भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
2. लखेसरी पत्नी हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
3. जयन्त कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
4. विनोद कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
5. पुष्पा देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
6. शकीला देवी पुत्रियां भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
7. कृष्णादेवी पत्नी भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
8. पृथ्वीराज पुत्र रामरख (फौत)
- 8/1. विजय सिंह पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई नि. वार्ड नं.11 संगरिया तह. संगरिया।
- 8/2. उदयपाल पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तह.संगरिया।
9. देशराज (फौत)
- 9/1. प्रमोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 9/2. इन्द्र कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 9/2/1. राजेश पुत्र इन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तह.संगरिया।
10. कृष्ण कुमार (फौत)
- 10/1. श्यामलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 10/2. देवेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 10/3. प्रदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 10/4. विष्णु कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 10/5. सुशील कुमार (फौत) जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
- 10/5/1आनन्द कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बिश्नोई नि.वार्ड नं.11संगरिया तह.संगरिया
11. शोकरण पुत्र बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
12. बसीधर पुत्र बीझाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
13. रोशनी देवी पत्नी हसंराज जाति बिश्नोई नि.वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
14. सुभाष पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
15. इन्द्रजीत पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।
16. मजूबाला पुत्री हसंराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया।

17. एस. बी.बी.जे. बैंक शाखा संगरिया ।
18. एस. बी. आई बैंक शाखा संगरिया ।
19. ओ.बी.सी. बैंक शाखा ढाबां ।
20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।
21. दीपक पुत्र विजय सिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं.11 संगरिया तहसील संगरिया ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन मुदई अनिल गोदारा, सुशील कुमार, वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिग्री दी जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक 4090 दिनांक 25.10.2019 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे ।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

